

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष-0124-2322057.

क्रमांक: 3237
प्रेषित,


दिनांक 22/03/22

Indian Oil Corporation Ltd.,
83, Industrail Area,
Sector-18, Gurugram

विषय:- Diversion of 0.0083 hac. of forest land for approach access to the proposed retail outlet of Indian Oil Corporation Ltd. on Gurgaon-Farrukhnagar Road KM 18-19 L/side at village Sultanpur, under Forest Divison & Distt. Gurugram. (FP/HR/Approach/149810/2021)


सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1766 दिनांक 25.01.2022

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि आप द्वारा ले-आउट प्लान में संशोधन किया जाना है इसलिए आप यह प्रस्ताव विदग्ना करना चाहते हैं। आपको लिखा जाता है कि ले-आउट प्लान में संशोधन करके पुनः प्रस्ताव आनलाईन करें। अतः आप अपना मूल प्रस्ताव किसी भी कार्यदिवस को आकर इस कार्यालय में प्राप्त करें तथा संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। किसी भी प्रकार की वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत होने वाली उल्लघना के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


उप वन संरक्षक, गुरुग्राम।
21/3/2022


पृ0 क्रमांक 3238-40-6


दिनांक 22/03/22


21/3

एक प्रति:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) हरियाणा, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम, को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी को उनके पत्र क्रमांक 535 दिनांक 14.03.2022 के सन्दर्भ में भेजते हुये लिखा जाता है कि प्रयोक्ता ऐजेंसी को किसी प्रकार की उल्लघना ना करने दी जाये।


उप वन संरक्षक, गुरुग्राम।
21/3/2022


Remedy file
22/03/2022